प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 16.09.2021

दिनांक 10.09.2021 को थाना क्षेत्र रानीगंज के पावर हाउस के पास हुयी फायरिंग की घटना से संबंधित 02 अभियुक्त गिरफ्तार–
एक तमंचा, 01 कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद (थाना रानीगंज)

दिनांक 10.09.2021 को सुबह लगभग 09:00 बजे थाना क्षेत्र रानीगंज के पावर हाउस के पास चाय की दुकान पर बैठे कुछ व्यक्तियों पर अचानक से आये तीन मोटर साइकिल पर सवार 09 व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की गयी, जिसमें 02 व्यक्ति 01. फारूक पुत्र महमूद अख्तर की हथेली में व 02. मुख्तार पुत्र मुंशी रजा को बाह में गोली लगी थी। फायरिंग करने वाले 03 व्यक्तियों को पीड़ित द्वारा पहचान लिया गया था, इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 488/2021 धारा 147, 148, 149, 286, 307, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा उक्त मुकदमें के अनावरण व संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिये गये थे व पुलिस की कई टीमें गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा था, इसी क्रम में कल दिनांक 15.09.2021 की रात्रि को थानाध्यक्ष रानीगंज उ0नि0 श्री अनिल कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के गाजी की बाग तिराहे के पास से एक मोटर साइकिल सवार दो व्यक्तियों को रोकने का इशारा किया गया, इस पर पुलिस टीम को देखकर उक्त व्यक्तियों द्वारा गाड़ी घुमाकर भागने का प्रयास किया गया, जिन्हे उक्त पुलिस टीम द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों के कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस द्वारा की गयी कड़ाई से की गयी पूछताछ में बताया कि दिनांक 10.09.2021 को रानीगंज थाना क्षेत्र के पावर हाउस के पास चाय की दुकान पर हमने व हमारे साथियों ने फारूख नामक व्यक्ति पर फायरिंग कर उसे मारने का प्रयास किया था परन्तु वह बच गया। इतने में वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी और हम लोग भाग गये। अभियुक्त जीशान द्वारा बताया गया कि दिनांक 04.09.2021 को गर्ल्स इण्टर कॉलेज के सामने फारूख व अन्य लोगों के द्वारा छेड़खानी की बात को लेकर हमसे कहासुनी व मारपीट की गयी थी। इसी कारणवश हमने यह घटना कारित की थी। (पुलिस द्वारा उक्त घटना से संबंधित अन्य अभियुक्तो की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।)

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. जीशान उर्फ दानिश पुत्र इसरार नि0ग्राम चकमझानीपुर थाना कंधई प्रतापगढ़।
2. महताब उर्फ अफताब आलम पुत्र मो0 सत्तार नि0ग्राम चौखड़ा थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी–

1. एक अदद तमंचा 12 बोर।
2. एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण–

मु0अ0सं0 501/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम गिरफ्तार अभियुक्त जीशान उर्फ दानिश उपरोक्त।

पुलिस टीम– उ0नि0 श्री अनिल कुमार पाण्डेय, उ0नि0 श्री जय प्रकाश यादव, मुख्य आरक्षी महेन्द्र यादव, मुख्य आरक्षी इरफान अहमद, आरक्षी रवि सिंह, आरक्षी यतेन्द्र थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

लूट/छिनैती की योजना बना रहे 06 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

05 चोरी की बैटरी, 10000/– रूपये नकद, एक तमंचा, 02 कारतूस, व घटना में प्रयोग की जाने वाली 01 चार पहिया वाहन (बोलेरो) बरामद (थाना बाघराय)

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु निरंतर दिये जा रहे निर्देश के क्रम में कल दिनांक 15.09.2021 की रात्रि को थाना बाघराय पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के कुण्डा मोड़ बिहार, नहर पुलिया के पास से लूट/छिनैती की योजना बना रहे 06 अभियुक्तों को चार पहिया वाहन (बोलेरो) के साथ गिरफ्तार किया गया जबकि इनके चार साथी मौके से अन्धेरे का लाभ उठाकर फरार हो गये। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 05 अदद इस्तेमाली चोरी की बैटरी एवं 10000/– रूपये नकद बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. मुलायम यादव पुत्र बसंतलाल नि0ग्राम गलगली थाना बाघराय जनद प्रतापगढ़।
2. ललित सिंह पुत्र राजाबाबू नि0ग्राम भदरी थाना हथिगवां जनद प्रतापगढ़।
3. रामाधार यादव पुत्र दूधनाथ नि0ग्राम रहियापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
4. राजेन्द्र यादव उर्फ चुल्ले पुत्र छेदीलाल यादव नि0ग्राम रहियापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
5. ब्रजेश कुमार पुत्र राधेश्याम नि0ग्राम गलगली थाना बाघराय जनद प्रतापगढ़।
6. बसन्त लाल यादव पुत्र स्व0 कड़ेदीन यादव नि0ग्राम गलगली थाना बाघराय जनद प्रतापगढ़।

बरामदगी–

1. घटना में प्रयोग की जाने वाली एक अदद चार पहिया वाहन (बोलेरो)।
2. एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर।
3. दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
4. पॉच अदद इस्तेमाली चोरी की बैटरी।
5. 10000/– रूपये नकद।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार छः अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि जो चारों लोग मौके से फरार हो गये वे हमारे साथी थे। हम सभी लोग मिलकर लूट/छिनैती/चोरी का काम करते है, आज भी हम लोग यहां इकट्ठा होकर कहीं लूट करने की योजना बना रहे थे, हमारे पास से जो बोलेरो गाड़ी बरामद हुयी है, उसका प्रयोग हम लोग लूट/छिनैती/चोरी की घटना कारित करने के लिये करते है और जो 05 इस्तेमाली बैटरियां बरामद हुयी हैं। हम सभी लोगों ने मिलकर दिनांक 16/17 अगस्त 2021 को रामगढ़ बनोही ग्राम में स्थित मोबाइल टॉवर से 22 बैटरियां चुराई थी (इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 229/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।) तथा जनवरी 2020 में नौवढ़ियां गावं में स्थित मोबाइल टॉवर से 24 बैटरियां चुराई थी (इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 15/20 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।) और ब्लॉक बिहार के सामने स्थित टाईनी शाखा से इनवर्टर की बैटरी व प्रिन्टर चुराया था (इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 196/21 धारा 380 भादवि पंजीकृत है।) । उक्त सभी बैटरियों/प्रिन्टर में से यही 05 बैटरियां हमारे पास बची है वाकी सभी को हम लोगों ने कम दामों में बेंच दिया व बिक्री से मिले पैसों को आपस में बांट लिया। हमारे पास से जो पैसे बरामद हुये है, वह रामगढ़ बनोही से चुराई बैटरियों के बिक्री किये हुये पैसों में से बचे हुये शेष पैसे है।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण–

01. मु0अ0सं0 253/2021 धारा 399,402,411 भादवि बनाम उक्त 06 अभियुक्त।
02. मु0अ0सं0 254/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम गिरफ्तार अभियुक्त मुलायम यादव उपरोक्त।

पुलिस टीम– उ0नि0 श्री सतीश कुमार, उ0नि0श्री हरिमोहन राजपूत, उ0नि0श्री विनोद कुमार, मुख्य आरक्षी राजेन्द्र यादव, मुख्य आरक्षी जटाशंकर, आरक्षी सम्पूर्णानन्द, आरक्षी परविन्द्र, आरक्षी अजय व आरक्षी हेमन्त शर्मा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।